

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-3 द्वितीय तल, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाष नम्बर 0141-2712993

Email: adpcsmsajaipur@gmail.com

क्रमांक:-जिपस/समग्र शिक्षा/जय/2025-26/AS Per Rajkaj

दिनांक : AS Per Rajkaj

राशि आहरण आदेश (पेरेन्ट्स काउंसलिंग 2025-26)

रास्कूप्राशि जयपुर के दिशा निर्देश क्रमांक 16622218 दिनांक 24.07.25, प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 17035132 दिनांक 18.08.25 तथा वित्तीय एवं आहरण स्वीकृति क्रमांक 17241642 दिनांक 20.08.25 की अनुपालना में समावेशी शिक्षा अन्तर्गत Therapeutic Services गतिविधि के आयोजन हेतु ब्लॉक स्तर पर स्थापित संदर्भ कक्षों पर गंभीर दोष से ग्रसित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु संबंधित ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर थैरेपिटिक संबलन प्रदान करने के उद्देश्य से थैरेपिटिक सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना एवं पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजन सत्र 2025-26 में दो बार किया जाता है।

प्रति पेरेन्ट्स काउंसलिंग 7500/-रु. की दर से कुल 15000/-रु. प्रति ब्लॉक हेतु निम्नानुसार राशि सीबीईओ कार्यालय को हाजा कार्यालय के SNA RJ-523 खाते से जारी किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

S.No	Block	जारी की जाने वाली राशि
1	AMBER	15000
2	ANDHI	15000
3	BASSI	15000
4	CHAKSU	15000
5	DUDU	15000
6	GOVINDGARH	15000
7	JAIPUR EAST	15000
8	JAIPUR WEST	15000
9	JALSU	15000
10	JAMWA RAMGARH	15000
11	JHOTWARA	15000
12	JHOTWARA CITY	15000
13	JOBNER	15000
14	KISHANGARH RENWAL	15000
15	KOTKHAWADA	15000
16	KOTPUTLI	15000
17	MADHORAJPURA	15000
18	MAUZAMABAD	15000
19	PAOTA	15000
20	PHAGI	15000
21	SAMBHAR LAKE	15000
22	SANGANER	15000
23	SANGANER CITY	15000
24	SHAHPURA	15000
25	TUNGA	15000
26	VIRATNAGAR	15000
TOTAL		390000

अक्षरे तीन लाख नब्बे हजार रु. मात्र।



RajKaj Ref No.:
18183594

eSign 1.0

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

1. उपर्युक्त राशि का स्थानांतरण एसएनए हैड Provision for children special needs (CWSN) में किया जायेगा।
2. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में अनुमोदित राशि से अधिक व्यय नहीं की जावें।
3. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राशि का उपयोग, थैरेपिस्ट सर्विस/अभिभावक परामर्शदात्री के संबंध में जारी दिशा–निर्देशानुसार, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
5. दोनो पेरेन्ट्स काउंसलिंग की समय सारणी पृथक से सूचित कर दी जावेगी। इसी दिन CWSN विद्यार्थियों व अभिभावकों को आमंत्रित कर जिले द्वारा भेजे गये डॉक्टर/थैरेपिस्ट की उपस्थिति में काउंसलिंग/थैरेपी करवायी जायेगी।

(मंजू शर्मा)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु

1. लेखाशाखा।
2. सम्बन्धित सीबीईओ, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. रक्षित प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर